UPSP010070122026

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12, सहारनपुर ।</u>

पीठासीन अधिकारी– निशान्त देव, उच्चतर न्यायिक सेवा (जे.ओ.कोड– यू.पी.1704)
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2979/2026

सद्दाम पुत्र शौकीन निवासी ग्राम घाटमपुर, थाना नकुड़, जिला सहारनपुर ।

..... **प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

राज्य ..... **अभियोजन**

मु.अ.सं.– 138/2026
धारा– 8/21/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना– नकुड़, जिला– सहारनपुर।

<u>13–07–2026</u>

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **सद्दाम** पुत्र शौकीन द्वारा मु0अ0सं0–138/2026 धारा–8/21/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना नकुड़, जिला सहारनपुर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ इदनान पुत्र फरजा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अभियुक्त का इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय में ना तो प्रस्तुत किया गया है, ना विचाराधीन है और ना ही निरस्त हुआ है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 06.03.2026 को वादी मुकदमा उ0नि0 देवेन्द अधाना मय हमराह कर्मचारीगण के थाना हाजा से बहवाले रपट सं0 22 समय 10.34 बजे पर रवाना होकर गाँव चढाव की तरफ मुड़कर ग्राम चढाव की तरफ करीब 100 मीटर चले तो ग्राम चढाव की ओर से आने वाले रास्ते से दो व्यक्ति आते हुये दिखाई दिये जो पुलिस वालो को अचानक देख वापस पीछे मुडकर ग्राम चढाव की तरफ तेज कदमो से जाने लगे इस पर पुलिस वालो के शक हुआ तो गाड़ी से उतरकर इन व्यक्तियो का पीछा करके घेर घोटकर अम्बेहटा से ग्राम चढाव की और जाने वाले रोड से बाये हाथ की और जाने वाले कच्चे रास्ते पर इन व्यक्तियो को पकड़ लिया पकडे गए व्यक्तियो से पीछे मुड़कर जाने का कारण पूछा तो पकडे गए इन व्यक्तियो ने बताया कि साहब हमारे पास स्मैक है। वादी उ0नि0 द्वारा मौके पर सहमति पत्र अन्तर्गत धारा 50 एनडीपीएस एक्ट तैयार कर अभियुक्तगण के हस्ताक्षर कराकर जामा तलाशी हेतु सहमति प्राप्त की गयी। इसके उपरान्त अभियुक्तगण की जामा तलाशी ली गयी तो पकडे गये पहले व्यक्ति ने अपना नाम **सद्दाम** पुत्र शौकीन निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर उम्र करीब 30 वर्ष के दाहिने हाथ से एक प्लास्टिक की काले रंग की पन्नी मिली पन्नी को खोलकर देखा तो एक प्लास्टिक की पारदर्शी छोटी पोलीथीन में हल्के लाल रंग का पदार्थ बरामद हुआ जो देखने मे नशीला पदार्थ स्मैक जैसा लगा रहा है वादी उ0नि0 द्वारा सुंघा व कर्मचारीगणों को सुंघाया गया तो नशीले पदार्थ **स्मैक** जैसी गंध आ रही हैं जिसका विवेचना किट से इलेक्ट्रोनिक कांटा निकालकर वजन किया तो इसका कुल वजन **54 ग्राम** पाया गया, अभियुक्त ने बताया कि साहब यही मादक पदार्थ स्मैक है लगडाने का कारण पूछा तो बताया कि मेरे दाहिने पैर मे पुरानी चोट लगी थी जिसमे रोड पडी है। तथा पकडे गये दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम **जुल्फान** पुत्र बुन्दू निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर उम्र करीब 32 वर्ष के दाहिने हाथ से एक प्लास्टिक की काले रंग की पन्नी मिली पन्नी को खोलकर देखा तो एक प्लास्टिक की पारदर्शी छोटी पोलीथीन में हल्के लाल रंग का पदार्थ बरामद हुआ जो देखने मे मे नशीला पदार्थ स्मैक जैसा लगा रहा है मुझ उ0नि0 द्वारा सुंघा व कर्मचारीगणों को सुंघाया गया तो नशीले पदार्थ **स्मैक** जैसी गंध आ रही हैं जिसका विवेचना किट से इलेक्ट्रोनिक कांटा निकालकर

वजन किया तो इसका कुल वजन **52 ग्राम** पाया गया। पकडे गये इन व्यक्तियो से सख्ती से पूछताछ की गयी तो पकडे गये व्यक्ति सद्दाम ने बताया कि साहब मै यह स्मैक ग्राम घाटमपुर के **शादाब उर्फ कन्टू** पुत्र अफसर निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर से लेकर आ रहा हूँ पकडे गये दूसरे व्यक्ति जुल्फान ने बताया कि साहब मैं यह स्मैक ग्राम घाटमपुर के **यासमीन उर्फ मोटी** पत्नी अफसर निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर से लेकर आ रहा हूँ तथा दोनो ने बताया कि हम दोनो व शादाब उर्फ कन्टू व यासमीन उर्फ मोटी के साथ **स्मैक तस्करी का काम करते है।** अभियुक्तगण सद्दाम व जुल्फान उपरोक्त को इनके जुर्म से अवगत कराते हुए समय 18:50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। उक्त आधार पर अभियुक्तगण सद्दाम, जुलफान, शादाब उर्फ कन्टू व यासमीन उर्फ मोटी के विरुद्ध धारा 8/21/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त सद्दाम द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम गलत तथ्य दर्शाकर झूठा लिखाया गया है। वाद उपरोक्त की घटना से प्रार्थी का कोई मतलब वास्ता नहीं है और न ही प्रार्थी के खिलाफ उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध बनता है। प्रार्थी का स्मैक के कारोबार से कोई मतलब वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। और न ही प्रार्थी के कब्जे से कोई नाजायज स्मैक बरामद हुई है। पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान का पालन नहीं किया गया है और कुल कार्यवाही थाने पर बैठकर फर्जी रूप से तैयार की गयी है। प्रार्थी दिनांक 06.03.2026 को कस्बा अम्बेहटा से सामान लेकर अपने गांव जा रहा था तभी रास्ते में पुलिस चैकिंग के दौरान पुलिस वालो से कहन सुनन हो गयी थी, इसी रंजिश के कारण यह झूठी कहानी बनाकर प्रार्थी का झूठा चालान कर दिया। प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें प्रार्थी जमानत पर है। प्रार्थी दिनांक 07.03.2026 से कारागार में है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन0डी0पी0एस0 एक्ट) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त **सद्दाम** को पुलिस कर्मियों द्वारा मौके से पकड़े जाने पर उसके कब्जे से **54 ग्राम अवैध स्मैक** की बरामदगी हुई है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरांत अपराध की पुनरावृत्ति करेगा तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन0डी0पी0एस0 एक्ट) एवं प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से स्पष्ट है कि मामले में प्रार्थी/अभियुक्त **सद्दाम** को पुलिस कर्मियों द्वारा मौके से पकड़े जाने पर उसके कब्जे से **54 ग्राम अवैध स्मैक** की बरामदगी होना तथा गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त उपरोक्त द्वारा यह बताना कि सहअभियुक्तगण जुल्फान, शादाब उर्फ कन्टू व यासमीन उर्फ मोटी के साथ **वह स्मैक तस्करी का काम करता है**, अभिकथित है। उपरोक्त बरामद स्मैक के विषय में **केन्द्रीय सरकार के नोटिफिकेशन का आ.1055 (ई). दिनांक 19.10.2001 केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)** के सारणी में निम्न इन्द्राज हैः–

नोटिफिकेशन में क्र. सं.	पदार्थ का नाम	अल्पमात्रा	वाणिज्यिक मात्रा	प्रार्थी/अभियुक्त से बरामद
56	स्मैक	5 ग्राम	250 ग्राम	**54 ग्राम**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से बरामद स्मैक की मात्रा, वाणिज्यिक मात्रा से तो कम है, लेकिन अल्पमात्रा से काफी अधिक है तथा उसके द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर स्मैक तस्करी का काम करना बताया गया है। बरामदगी की मात्रा अधिक है तथा प्रार्थी/अभियुक्त की भूमिका गम्भीर प्रकृति की दर्शायी गयी है। अभियोजन के अनुसार, प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध **02 अन्य मामले** मु0अ0सं0 337/2022 धारा 380, 411 भा0दं0सं0 थाना नकुड़ व मु0अ0सं0 563/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना नकुड़ जिला सहारनपुर भी पंजीकृत हैं। मामले के तथ्यों एवं अभियुक्त के पूर्व आपराधिक इतिहास को देखते हुए इस बात की सम्भावना है कि अभियुक्त भविष्य में जमानत का दुरूपयोग कर सकता है। स्वापक औषधियों एवं मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से बड़ी संख्या में जन समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सहअभियुक्त जुल्फान का जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में निरस्त किया जा चुका है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **सद्दाम** पुत्र शौकीन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–138/2026, अन्तर्गत धारा–8/21/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना नकुड़, जिला सहारनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक– 13–07–2026

(**निशान्त देव**)
विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12,
सहारनपुर ।
(जे.ओ. कोड–यू.पी.1704)

Digitally signed by Nishant Dev
Date: 2026.07.13 16:23:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Saharanpur